रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092021-229613
CG-DL-E-15092021-229613

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 392] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 13, 2021/भाद्र 22, 1943
No. 392] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 13, 2021/BHADRA 22, 1943

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

(डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय)

अध्यादेश

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2021

[अधिसूचना सं. 81/आर.पी.सी.ए.यू. (भी.सी.) पूसा दिनांक 3 नवम्बर, 2018 के द्वारा निर्गत अध्यादेश में संशोधन]

सं. 309 /आर.पी.सी.ए.यू. (भी.सी.).—चूंकि भारत सरकार, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के द्वारा दिनांक 09.09.2020 को हुई वित्त समिति की अनुषंसा पर प्रबंध बोर्ड की दिनांक 22.12.2020 को हुई 14वीं बैठक में पारित प्रस्ताव के आलोक में ज्ञापन सं. 5–06/2021–सी.ए.यू. दिनांक 26 जुलाई, 2021 के द्वारा डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा द्वारा निर्गत गजट संख्या 81/आर.पी.सी.ए.यू. (भी.सी.) दिनांक 3 नवम्बर, 2018 में प्रकाशित अध्यादेश में नियंत्रक पद के लिए नियुक्ति नियमावली में निम्नरूपेण संशोधन करने के लिए अनुमति प्रदान किया गया है।

वर्तमान प्रावधान	संशोधन के बाद प्रावधान
समुह ए	समुह ए
वेतनमानः लेवल 12 7वीं सी.पी.सी. के अनुसार	वेतनमानः लेवल 14 7वीं सी.पी.सी. के अनुसार
आवेदन की अंतिम तिथि को उम्मीदवार 58 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किए हों ।	आवेदन की अंतिम तिथि को उम्मीदवार 58 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किए हों ।
(i) किसी भी विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंक के साथ मास्टर डिग्री या इसके समकक्ष ग्रेड बी यु.जी.सी. के सात अंकों के पैमाने पर (ii) वित्तीय प्रबंधन में कम से कम 15 वर्षों का उचित अनुभव जिसमें से 3 साल उप नियंत्रक/उप वित्त अधिकारी या किसी भी विष्वविद्यालयस/संबद्ध	अनिवार्य अर्हता (a) कम से कम 55 प्रतिशत् अंकों के साथ वाणिज्य/वित्तीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि या पॉइट सकेल में समकक्ष ग्रेंड (b) अनुसंधान प्रतिष्ठान/यू.जी.सी./उच्च षिक्षा के अन्य

महाविद्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र. के उपक्रम/स्वायत संगठन/बहुराष्ट्रीय संगठन/सरकार में इसके समतुल्य पद या 15 वर्ष की समग्र सेवा जिसमें 10 वर्ष सहायक वित्त अधिकारी/सहायक नियंत्रक के पद पर होना चाहिए **अन्य शर्त्ते एवं बंधेज** (a) कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा और पदग्राही पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा । कार्यकाल में कर्तव्य के घोर दुराचार/अपमान के मद्देनजर प्रबंध बोर्ड द्वारा रोक लगाया जा सकता है । (b) पदग्राही 60 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत होगा।	संस्थानों/सदृष्य हैसियत के साथ केन्द्र सरकार के संगठित लेखा में कम से कम 15 वर्षों का तुलनीय अनुभव । अथवा कम से कम 15 वर्षों का वित्तीय प्रबन्धन अनुभव जिसमें 8 व"ा उप वित्त अधिकारी या समकक्ष पद के रूप में । (c) स्नातकोत्तर स्तर पर अंकों के प्रतिषत में 5 प्रतिषत की छूट, 55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत एस.सी./एस.टी./पी.डब्लू.डी. श्रेणियों एवं वर्तमान पदग्रही को दी जाएगी जो पहले से ही विष्वविद्यालय प्रणाली में हैं । वांछनीय योग्यता व्यवसाय प्रषासन (वित)/वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि रखने वाले या सी.ए./आई.सी.डब्लू.ए. या एस.ए.एस. या केन्द्र/राज्य सरकार के समकक्ष सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करनेवाले व्यक्ति/भारत सरकार के अर्न्तगत संगठित वित्त और लेखा सेवा में यू.पी.एस.सी. के माध्यम से भर्ती एवं कायरर्त/कार्य कर चुके अधिकारी को प्राथमिकता दी जायगी ।
सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र एवं षैक्षणिक योग्यताए क्या प्रोन्नति के लिए भी लागू होगा?	मान्य नहीं
परिक्ष्यमान अवधि, अगर कोई हो	दो वर्ष
नयुक्ति की पद्धति,– सीधी नियुक्ति	सीधी नियुक्ति
पाँच वर्षो के विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियंत्रक की नियुक्ति किया जा सकता है । किसी व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति पर नियंत्रक के रूप में नियुक्त किए जाने के मामले में, उनका कार्यकाल, परिलब्धियॉ और सेवा की अन्य षर्त्ते प्रतिनियुक्ति के मानक के अनुसार होगी ।	पाँच वर्षो के विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियंत्रक की नियुक्ति किया जा सकता है । किसी व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति पर नियंत्रक के रूप में नियुक्त किए जाने के मामले में, उनका कार्यकाल, परिलब्धियॉ और सेवा की अन्य षर्त्ते प्रतिनियुक्ति के मानक के अनुसार होगी ।
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विष्वविद्यालय अधिनियम, 2016 के परिनियम के धारा 18 (2) यथा समय–समय पर संषोधित के अनुसार होगा ।	विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम की उपबन्ध 18 (2) के अनुसार
	अन्य नियम एवं शर्तें (a) कार्यकाल पांच वर्ष का होगा और पद्धारी पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा । तथापित, घोर कदाचार/कर्तव्य में लापरवाही को देखते हुए प्रबन्ध बोर्ड द्वारा कार्यकाल में कटौती की जा सकती है । (b) पदग्राही 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत हो जायगा ।

अतः अब डॉ राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम के उपबन्ध 39 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा उपरोक्त वर्णित केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से मैं, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा का कुलपति प्रथम अध्यादेश में उपरोक्त संशोधन को अधिसूचित करता हूँ ।

आर. सी. श्रीवास्तव, कुलपति

[विज्ञापन III/4/असा./250/2021–22]

नोट– विभेद की दशा में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University)

ORDINANCE

New Delhi, the 31st July, 2021

[Amendment in Ordinance issued vide Gazette Notification No. 81/DRPCAU (VC), Pusa dated, the 3rd November, 2018]

No. 309/DRPCAU(VC), Pusa.—Whereas the Government of India in the Department of Agricultural Research and Education on the recommendation of the Finance Committee meeting held on 09.09.2020 and as per resolution passed in 14th meeting of the Board of Management of the University held on 22.12. 2020 has approved vide No. 5-06/2021-CAU dated 26th July, 2021 the amendment in the Recruitment Rules of the post of Comptroller already notified in the Ordinance issued vide No. 81/DRPCAU (VC), Pusa dated, the 3rd November, 2018 of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University as under:

Present provision	Provision after amendment
Group –A	Group –A
Level 12 of 7th CPC	Level 14 of 7 CPC
The candidate must not have attained the age of 58 years as on the closing date of the application	The candidate must not have attained the age of 58 years as on the closing date of the application
Essential Qualification 1 Master's Degree in any discipline with at least 55% of the marks or its equivalent grade of B in UGC seven point scale 2 A minimum of 15 years of appropriate experience of financial management of which 3 years as Dy. Comptroller/ Dy. Finance Officer or an equivalent post of a University/Affiliated College/ Public Sector Undertaking/ Autonomous Organization/ Multinational Organization/Govt. Or with an overall service of 15 years including 10 years in post of Asstt. Finance Officer/Asstt. Comptroller. 3 Other terms and conditions (a) The tenure will be five years and incumbent will be eligible for reappointment. However, tenure can be curtailed by BOM in view of gross misconduct /dereliction of duty. The incumbent will superannuate on attaining 60 years age	Essential Qualification (a) A Post-Graduate Degree in Commerce/Financial Management with at least 55% of the marks or an equivalent grade in point scales. (b) At least 15 years of comparable experience in research establishment/UGC/other institutions of higher education/Organized Accounts in Central Government with similar status. **OR** At least 15 years of financial management experience of which 8 years as Deputy Finance Officer or an equivalent post. (c) 5% relaxation in percentage of marks at Master's level from 55% to 50% will be extended to SC/ST/PwD categories and to the existing incumbents who are already in the University system. **Desirable Qualifications:** Persons/Officials possessing Master's degree in Business Administration (Finance)/Commerce or possessing CA/ICWA or passing of SAS or its equivalent service examination of central/state Govt./Officials working/worked in Organized Finance & Accounts services under Govt. of India recruited through UPSC will be given preference.
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promoteion. N.A.	NA
Period of probation, if any- Two years	Two years
Method of recruitment- Direct Recruitment	Direct Recruitment
The Comptroller may be appointed on deputation for a specific period not exceeding five years. In case of a person being appointed as Comptroller on deputation, his tenure, emoluments and other terms of service shall be according to the standard of deputation.	The Comptroller may be appointed on deputation for a specific period not exceeding five years. In case of a person being appointed as Comptroller on deputation, his tenure, emoluments and other terms of service shall be according to the standard of deputation.

As per Clause 18(2) of the First Statutes of the University.	As per Clause 18(2) of the First Statutes of the University.
	<u>Other terms and conditions</u> (a) The tenure will be five years and incumbent will be eligible for reappointment. However, tenure can be curtailed by BOM in view of gross misconduct /dereliction of duty. (b) The incumbent will superannuate on attaining 60 years age

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the clause 39 of the First Statutes of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University and with the previous approval of the Central Government as aforesaid, I, the Vice-Chancellor of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa, do hereby notify the amendment in the Ordinance as above.

R. C. SRIVASTAVA, Vice-Chancellor

[ADVT.-III/4/Exty./250/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2021.09.15 13:14:19 +05'30'